

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.09.2021

बलवा करने का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बलवा करने के वांछित अभियुक्त विशाल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने आने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर जमीनी विवाद के चलते दिनांक 31.08.2021 को बलवा करते हुए वादी घनश्याम सिंह नि० मदनपुर पोस्ट सवारपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा व उनके परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डा से मारा-पीटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. विशाल यादव पुत्र परशुराम नि० लव्वाबीरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०-276/21, धारा 147,148,149,327,504,506,427 भादवि व 7 सी०एल०एन० एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम:—

उ०नि० बलिराम सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.09.2021

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 06 व्यक्ति गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल—3,270/— रुपये एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को० देहात में जुआ अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अब्दुल रऊफ पुत्र अब्दुल रहीम नि० ग्राम पूरे तिवीर थाना को० देहात गोण्डा।
02. शेर् मोहम्मद पुत्र चॉद मोहम्मद नि० ग्राम पूरे तिवीर थाना को० देहात गोण्डा।
03. मोहर्म्म अली पुत्र ननकू तेली नि० ग्राम पूरे तिवीर थाना को० देहात गोण्डा।
04. अब्दुल कलाम पुत्र शफील नि० ग्राम पूरे तिवीर थाना को० देहात गोण्डा।
05. राहूत पुत्र भगहू नि० ग्राम पूरे तिवीर थाना को० देहात गोण्डा।
06. अकबर अली पुत्र कलहा नि० ग्राम डफल पुरवा, डडवा कानूनगो को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—332/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. रू० 3,270/— नगद
02. 52 ताश के पत्ते।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० सुनील कुमार रावत मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.09.2021

ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत दलित उत्पीडन, मारपीट, बलवा व जबरन वसूली करने वाले अभ्यस्त 02 गैंगेस्टर गिरफ्तार:—

15 अगस्त 2021 से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन गैंगेस्टर' के तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने शातिर गिरोहबंध अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही करने तथा उनकी गिरफ्तारी करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारियों को दिया था। जिसके अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 47 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गिरोहबंध अधिनियम की कार्यवाही की गई है जिसमें आज थाना को० नगर पुलिस ने 02 गिरोहबंध अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने मु०अ०सं०-661/21, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों-01. मनीष यादव उर्फ लवकुश, 02. अमित तिवारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01-01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया।

उपरोक्त अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिये दलित उत्पीडन, मारपीट, बलवा व जबरन वसूली जैसे अपराधों में लिप्त है। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:—

01. मनीष यादव उर्फ लवकुश पुत्र फूलचन्द्र नि० पोटरगंज पथवलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. अमित तिवारी पुत्र पवन कुमार तिवारी नि० पोटरगंज पथवलिया थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-661/21, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०-674/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०-675/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० सर्वजीत गुप्ता मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.09.2021

अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त खालिक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. खालिक पुत्र मोहल्ला इमामबाड़ा थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-672/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता-

01. उ०नि० आशीष कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.07.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के 02 वांछित अभियुक्तों-01. कनिकराम, 02. घमण्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में लडकी की माता द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कनिकराम पुत्र नेवाजे नि0 ज्ञानीपुर राम प्रसाद भलुहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. घमण्डी पुत्र अर्जुन नि0 ज्ञानीपुर राम प्रसाद भलुहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-237/2021 धारा 363,504,506 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मय टीम।

